न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/20/2021	2021/139	08.10.2021	09.12.2025

1.पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ।

---निगरानीकार

बनाम

1.डाल चंद सैनी पुत्र लल्लुराम सैनी निवासी मौ0सैनी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

2.गिर्राज सैनी पुत्र लल्लुराम सैनी निवासी मौ0सैनी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

3.टीकम सैनी पुत्र लल्लुराम सैनी निवासी मौ0सैनी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

4.काशीराम सैनी पुत्र लल्लुराम सैनी निवासी मौ0सैनी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

5.ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान जरिये सचिव/सरपंच।

---गैरनिगरानीकार

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 (1) राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 बरखिलाफ आज्ञा ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ, दिनांक 12.10.1996, जिसके द्वारा गैर कानूनी रूप से लल्लुराम सैनी के हक में आबादी का पट्टा जारी किया।

उपस्थितः—

01.श्री विनोद शर्मा — वकील निगरानीकार

02.श्री गोविन्द —वकील गैरनिगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ दिनांक 12.10.1996 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनाक 12.10.1996 को गुरनिगराकार स 5 ने लल्लूराम सैनी पुत्र मूलाराम को जो गैरनिगराकार स० 1 ल० 4 के पिता है के हक में आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने बाबत आदेश पारित किया वह आदेश 12.10.1996 को 744 वर्गफुट भूमि हेतू जारी किया नया इस बाबत शुल्क तौर पर लल्लूराम सैनी से 1372/रूपये वसूल किये गये जो 1.84/रूपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से वसूल की गई जो राशि पंचायत कोष में जमा कराई गई। जिस आदेश के विरूध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। गैरनिगराकार स० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूध जारी किया है तथा पंचायती राज० अधि० व राजस्थान पंचायती राज० नियमो की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय ना तो आबदी भूमि पर किये गये किसी निमार्ण की जानकारी की ना ही जिस भूति बाबत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूखण्ड पर जो निमार्ण है। यह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से सबंधित कोई तथ्य भूखण्ड का नाम तथा भूखण्ड के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही जहा मूखण्ड स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अकिंत किया गया है तथा भूखण्ड के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नहीं किया गया है कि अमुक भूखण्ड के निमार्ण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नहीं किया गया है।

यह कि भूखण्ड हेतू नियमन पट्टा जारी करने हेतू जो उजदारी नोटिस निकाला गया है उसमे भी भूखण्ड की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नही किया है ताकि उज्जदार सम्पति/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उजदारी करने या करने की स्थिति पर विचार कर सके ना ही उज्जदारी नोटिस अधिक सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्जचारी नोटिस को सर्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिर्पोट का हवाला ही अपने विवादित आदेश में लिखा है । इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनेदखीं करते हुये जारी किया गया है जिस को मान्य करार नहीं दिया जा सकता है। आवंटी श्री लल्लूराम सैनी पुत्र मूलाराम की मृत्यू हो गई है और गैर निगराकार बतौर उत्तराधिकारी आवंटित भूखण्ड पर काबिज है आंवटी की मृत्यू की दशा में निगरानी गैर निगराकार के विरूध बतौर वारिस काबिज जायदाद होने से पेश की जा रही है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उसे जांच में भी नारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई। निगरानी पर नियमानुसार न्याय शुल्क चस्पा है तथा निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है । राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम की धारा 97 (1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नहीं है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तु है। निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनाक 12-10-96 को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये। निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अनिगरानीकारों को नोटिस जारी किया गया। वकील उभयपक्ष उपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा लल्लूराम सैनी पुत्र श्री मूलाराम सैनी को जारी किये गये पट्टे दिनांक 12.10.1996 के विरुद्ध दायर किया गया है। पत्रावली के अध्ययन व अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय भूखण्ड का मौहल्ला, आस-पास की संपत्तियाँ, सार्वजनिक रास्ते दर्ज करने चाहिए थे जो नहीं किये गये हैं। पैमाइश का कोई नक्शा, ले-आउट, फोटोग्राफ, सीमांकन पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यह नियम 157(2) नियमन हेतु स्पष्ट स्थल निरीक्षण अनिवार्य होने का सीधा उल्लंघन है। नियम 158(4) दृ भूखण्ड की हदबंदी का अभिलेख होना अनिवार्य है। जिससे यह स्पष्ट हो कि पट्टा बिना विधिक निरीक्षण जारी किया गया। पत्रावली में भू खण्ड की हदबंदी हेतु कोई स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उज्रदारी हेतु जारी नोटिस का चस्पां/प्रकाशन/सर्विस का कोई प्रमाण नहीं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चस्पा नहीं किया गया। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियम 159 नियमन से पूर्व उचित उज्जदारी नियम 266 नोटिस का विधिवत चस्पा/प्रकाशन/सेवा इस प्रकार सम्पूर्ण उज्जदारी प्रक्रिया अमान्य व अवैध है। पंचायत पर यह दायित्व है कि भूखण्ड अतिक्रमणयुक्त तो नहीं सार्वजनिक मार्ग का अतिक्रमण तो नहीं निर्माण स्वीकृत है या अनधिकृत रिकॉर्ड में इनमें से किसी भी बिंदु पर कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा प्रक्रियात्मक त्रुटियों व पारदर्शिता की कमी के कारण न्यायिक दृष्टिकोण से असंगत व अवैध है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा लल्लूराम सैनी पुत्र श्री मूलाराम सैनी को जारी किये गये पट्टे दिनांक 12.10.1996 को अवैध घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)